न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्रीमती शकुन्तला चौधरी आरएएस

प्रकरण सं० : 209/2020

1. राजेश ढाका पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी आसन त० भादरा।

:— वादी

ब ना म

1. बनवारी पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. रामकिशन पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. बलवीर पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा
4. कमला देवी उर्फ मनकौरी पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
5. सुरसती पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
6. रामकला पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
7. राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— **प्रतिवादीगण**

आज यह वाद मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री नरेन्द्र शर्मा एवं वकील प्रतिवादीगण श्री रामूर्ति राखर की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एव वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 23/28 के खसरा सं0 9 की 11.2550है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा व रोही आसन के खाता सं0 101/19 के खसरा सं0 104 की 1.3030है0 खसरा सं0 105 की 1.2770है0, खसरा सं0 106 की 7.3860है0, खसरा सं0 194 की 8 9920है0, खसरा सं0 195 की 9.5600है0 कुल 23.5180है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/3 हिस्सा बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजेश ढाका व प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन, प्रतिवादी सं0 3 बलवीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। चूंकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 6 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरुस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 10.2.2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(शकुन्तला चौधरी)
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्रीमति शकुन्तला चौधरी आर0ए0एस

प्रकरण सं0 : 209/2020

1. राजेश ढाका पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

:– वादी

ब ना म

1. बनवारी पुत्र मंगलाराम जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
2. रामकिशन पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
3. बलवीर पुत्र बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
4. कमला देवी उर्फ मनकौरी पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
5. सुरसती पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।
6. रामकला पुत्री बनवारी जाति जाट निवासी आसन त0 भादरा।

राज0 सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा। :– **प्रतिवादीगण**

दावा बावत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती

अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री नरेन्द्र शर्मा : वादी

वकील श्री राममूर्ति ताखर: **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांक : 10.2.2022

संक्षेप मे वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 23/28 के खसरा सं0 9 की 11.2550है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा व रोही आसन के खाता सं0 101/19 के खसरा सं0 104 की 1.3030है0, खसरा सं0 105 की 1.2770है0, खसरा सं0 106 की 7.3860है0, खसरा सं0 194 की 0.9920है0, खसरा सं0 195 की 9.5600है0 कुल 28.5180है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/3 हिस्सा बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा मंगलाराम की खातेदारी हुआ करती थी। मगलाराम के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बनवारी ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीकी पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीका जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादी एवं प्रतिवादी सं 1, 2, 4 ता 6 को द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या को स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। वकील वादी ने प्रतिवादी सं0 3 व 7 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर उनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली मे साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजेश ढाका पुत्र बनवारी के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी आसन खाता सं0 23/28 प्रदर्श 1 जमाबंदी

1/Page

Scanned with CamScanner

रोही आसन खाता सं0 101/19 प्रदर्श 2, दादालाई जमाबंदी रोही आसन प्रदर्श 3 व 4, सदस्य प्रमाण पत्र राममूर्ति प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही आसन के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी आसन खाता सं0 23/28 प्रदर्श 1 जमाबंदी रोही आसन खाता सं0 101/19 प्रदर्श 2, दादालाई जमाबंदी रोही आसन प्रदर्श 3 व 4, सदस्य प्रमाण पत्र राममूर्ति प्रदर्श 5 प्रदर्शित करवाये। जिसमें वारिस प्रमाण के अनुसार बनवारी के तीन पुत्र बलवीर रामकिशन, राजेश व तीन पुत्री कम्लादेवी, सुरसती, रामकला तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है तथा प्रदर्श 2 से वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 6 का जन्म से हक हिस्सा निहित है । प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 6 ने अपना हक हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा आसन के खाता सं0 23/28 के खसरा सं0 9 की 11.2550है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम 2/3 हिस्सा व रोही आसन के खाता सं0 101/19 के खसरा सं0 104 की 1.3030है0, खसरा सं0 105 की 1.2770है0, खसरा सं0 106 की 7.3860है0, खसरा सं0 194 की 8.9920है0, खसरा सं0 195 की 9.5600है0 कुल 28.5180है0 बारानी कृषि भूमि में प्रतिवादी सं0 1 के नाम से 1/3 हिस्सा बारानी खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उक्त वर्णित वादभूमि में से प्रतिवादी सं0 1 बनवारी का नाम कलमजन किया जाकर वादी राजेश लाका व प्रतिवादी सं0 2 रामकिशन, प्रतिवादी सं0 3 बलवीर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाते है। चूकि प्रतिवादी सं0 1 व 4 ता 6 ने अपना हक व हिस्सा उक्त वाद भूमि में से वादी व प्रतिवादी सं0 2 ता 3 के पक्ष में त्याग कर शून्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पत्रावली डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 10.2.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुन्तला चौधरी) सहायक कलक्टर
(फास्ट R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

2|Page

Scanned with CamScanner